न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री शिव प्रसाद एम नकाते आई.ए.एस.

रसद आवेदन पत्र संख्या 43/2010

प्रार्थी	बनाम्	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना शिव		कैलाशसिंह पुत्र पूरसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बिस्सूकला पुलिस थाना शिव

रसद आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए)आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955

उपस्थितः–1. दौलतराम अभियोजन अधिकारी,बाड़मेर प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी एक तरफा

निर्णय दिनांक 23.05.2018

1. संक्षेप मे प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 02.10.2010 को 12.20 एएम पर पुलिस जाब्ता द्वारा गश्त व वाहनों की गडरारोड तिराहा पर चैकिग करने के दौरान पीकअप गाडी नम्बर आरजे 04/जीए 3285 गूँगा गांव की तरफ आकर गडरारोड की तरफ मुड़ने लगा तो उसको स्टाफ द्वारा बावर्दी ईशारा देकर रूकवाया गया। गाडी को अप्रार्थी संख्या कैलाशसिंह चला रहा था।वाहन को चेक करने पर गाडी की बॉडी में 8 लोहे के ड्रमो में कुल 1600 केरोसीन भरा हुआ मिला। वाहन मालिक का नाम, पता पूछने पर कैलाशसिंह पुत्र पूरसिंह जाति राजपूत निवासी पूंजराजसिंह की ढाणी(बिस्सू कला) बताया।ड्रमों के ढक्कन खोलकर मौतबिरान के रूबरू चैक किया, सुंधा, देखा तो राशन का नीला केरोसीन होना पाया गया। दोनो ड्रमो को कब्जा पुलिस में लिया जाकर गेज से नाप किया गया तो प्रत्येक ड्रम में 200 कुल 1600 लीटर केरोसीन पाया गया। प्रत्येक ड्रम में से एक एक बोतल नमूना सेंपल लिये गये।नीला राशन का केरोसीन कब्जा में रखने व परिवहन करने बाबत परमिट/लाइसेंस का पूछा गया तो कोई बिल परमिट व लाइसेंस नहीं होना बताया। इस पर प्रार्थी ने 1600 लीटर केरोसीन एंव वाहन नम्बर आरजे 04/जीए 3285 बरामद कर इसका निस्तारण करने हेतु यह आवेदन पत्र धारा 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश किया, जो बाद सुनवाई न्यायालय के निर्णय दिनाक 03.02.2016 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी से बरामद 1600 लीटर नीला केरोसीन मय ड्रम व वाहन संख्या आरजे 04/जीए 3285 जब्त सरकार किये गये। इस निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थी कैलाशसिंह पुत्र पूरसिंह ने माननीय अपर सैशन

जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय बालोतरा के न्यायालय में अपील संख्या 05/2016 पेश की जो निर्णय दिनांक 20.10.2016 द्वारा अपील स्वीकार कर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 03.02.2016 को अपास्त कर अप्रार्थी को अपनी साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करके व धारा 6 A(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम के द्वितीय परन्तुक की पालना करने के पश्चात् नया आदेश पारित करने के निर्देश दिये गये।

2. इस पर प्रकरण पुनः नम्बर पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री गोपालसिंह हाजिर आये। जिन्हे साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये मगर अप्रार्थी की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई,फलस्वरूप दिनांक 25.04.2018 को अप्रार्थी की साक्ष्य बन्द की गई। वक्त बहस अप्रार्थी के अधिवक्ता अनुपस्थित रहे,फलस्वरूप अप्रार्थी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

3. बहस एक तरफा सुनी गई। प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी,बाड़मेर का यह तर्क है कि अप्रार्थी द्वारा नीले रंग का केरोसीन कालाबाजारी में बेचने की नीयत से अवैध रूप से जीप ट्रोला में परिवहन किया जा रहा था।वक्त बरामदगी अप्रार्थी के पास केरोसीन रखने एंव परिवहन करने का कोई वैध लाइसेंस एंव परमिट नहीं पाये जाने के फलस्वरूप बरामद केरोसीन एंव वाहन जब्त सरकार किये गये। उन्होने तर्क दिया कि माननीय अपर सेशन न्यायालय बालोतरा द्वारा रिमाण्ड प्रकरण में दिये गये निर्देशानुसार अप्रार्थी को काफी अवसर देने के बावजूद अप्रार्थी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई और न ही अप्रार्थी के अधिवक्ता पैरवी हेतु उपस्थित रहे। इसलिये बरामद केरोसीन व केरोसीन के उपयोग में लिये गये वाहन को जब्त सरकार किया जाए।

4. हमने प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी, बाड़मेर की बहस सुनी। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी से दिनांक 02.10.2010 को 1600 लीटर नीले रंग का केरोसीन वाहन नम्बर आरजे 04/जीए 3285 से परिवहन करते हुए बरामद किया गया है। इस केरोसीन तेल को रखने हेतु अप्रार्थी के पास वक्त बरामदगी कोई अनुज्ञा पत्र एंव परमिट नहीं पाया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताआ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी ने अपनेब बचाव पक्ष में कोई जवाब पेश नहीं किया और न ही कोई दस्तावेज पेश किया है। माननीय अपर सेशन न्यायालय बालोतरा द्वारा रिमाण्ड प्रकरण में दिये गये निर्देशानुसार अप्रार्थी को साक्ष्य हेतु काफी अवसर देने के बावजूद अप्रार्थी ने कोई साक्ष्य दर्ज नहीं करवायी और न ही वाहन के सम्बन्ध मेंधारा 6 A(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम के द्वितीय परन्तुक में अंकित कोई विकल्प प्रस्तुत किया। इससे स्पष्ट है कि

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अप्रार्थी अपने प्रकरण के प्रति गंभीर नहीं है। राजस्थान खाघान एंव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के क्लाज 3 के सब क्लांज 2 के अनुसार अनुज्ञाधारी व्यक्ति के अलावा और कोई व्यक्ति नीलेरंग के केरोसीन को न तो रख सकता है और न ही विक्रय कर सकता है। इस मामले में अप्रार्थी ने बिना अनुज्ञा पत्र व परमिट के नीलेरंग के केरोसीन का संग्रह कर, क्लाज 3 के सब क्लाज 2 का उल्लंघन किया है इसलिये प्रार्थी द्वारा बरामद किया गया 1600 लीटर नीला केरोसीन,मय ड्रम एंव इसके उपयोग में लिया गया वाहन नम्बर आरजे04/जीए 3285 जब्त सरकार करने योग्य है।

5. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी से बरामद 1600 लीटर नीला केरोसीन मय ड्रम एंव वाहन नम्बर आरजे 04/जीए 3285 राजसात (CNFISCATE) किया जाता है। चूँकि बरामद 1600 लीटर केरोसीन एंव ड्रमों का अन्तरिम निस्तारण किया जा चुका है। लिहाजा अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि रूपये 20560/--राज्य कोष में जमा हो। बरामद वाहन नम्बर आरजे 04/जीए 3285 वाहन मालिक कैलाशसिंह पुत्र पूरसिंह जाति राजपुरोहित निवासी पूंजराजसिंह की ढाणी (बिस्सू कल्ला) को सुर्पुदगीनामा एंव जमानतनामा पर सुपुर्द किया हुआ है। अत' वाहन कब्जे में लेने एंव नियमानुसार नीलामी करने हेतु निर्णय की प्रति थानाधिकारी पुलिस थाना शिव को भेजी जाए।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(शिवप्रसाद एम.नकाते)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 23.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर